

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 22-100/2020/पी-1/इकतीस
प्रति,

भोपाल, दिनांक

मुख्य अभियंता (समस्त),
अधीक्षण यंत्री, (समस्त),
कार्यपालन यंत्री, (समस्त)
सहायक यंत्री, (समस्त),
(मध्यप्रदेश)

विषय:-जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिकारियों को प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय करने बाबत।

जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जाना है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2020 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ जिन अधिकारियों को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, ऐसे अधिकारियों के संबंध में संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेखों के आधार पर जानकारी तैयार कराई जाकर संलग्न प्रपत्र-एक में भरकर दिनांक 11.12.2020 तक कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल को प्रेषित किया जाए, ताकि एकजाई प्रस्ताव प्रमुख अभियंता स्तर पर परीक्षण कराया जाकर पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:-प्रपत्र-एक

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 02/12/2020

क्रमांक एफ 22-100/2020/पी-1/इकतीस
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावों का वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत प्रस्तावों का परीक्षण कराया जाकर एकजाई प्रस्ताव पूर्ण जानकारी के साथ दिनांक 20.12.2020 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
 2. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेब साईट में प्रविष्टि हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

12

